न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

पीठासीन अधिकारी : श्री वीरमाराम आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 143/2021

प्रार्थीगण	**बनाम**	**विप्रार्थीगण**
1. खेताराम पुत्र फुवाराम जाति कुम्हार 2. धुड़ाराम पुत्र फुवाराम जाति कुम्हार 3. रावताराम पुत्र फुवाराम जाति कुम्हार निवासी बामणी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर		1. अणदाराम पुत्र राजुराम जाति कुम्हार 2. कालुराम पुत्र राजुराम जाति कुम्हार 3. गोरखाराम पुत्र राजुराम कुम्हार 4. थानाराम पुत्र राजुराम जाति कुम्हार 5. पनीदेवी पत्नी राजुराम जाति कुम्हार 6. भूराराम पुत्र राजुराम जाति कुम्हार 7. मिसराराम पुत्र राजुराम जाति कुम्हार 8. रणसाराम पुत्र राजुराम जाति कुम्हार 9. सोनाराम पुत्र राजुराम जाति कुम्हार 10. जगमालराम पुत्र मुकनाराम जाति कुम्हार सभी निवासीयान बामणी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 11. राजस्थान राज्य जरीये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. श्री अमराराम चौधरी वकील प्रार्थीगण उपस्थित।
2. नायब तहसीलदार (उपखण्ड कार्यालय)राज.पैरोकार
3. शेष विप्रार्थीगण अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक– 19.10.2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.11.17 16:21:22 IST
Reason: SelfAttested

1.संक्षेप में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण एवं वि[illegible]ी खातेदारी भूमि मौजा बामणी में अवस्थित मूल खसरा सं. 162 कुल रकबा 35 बीघा 18 [illegible] के संबंध में खातेदारान द्वारा उप तहसीलदार सिणधरी में बंट[illegible] पेश किया, जो विभाजन प्रस्ताव दिनांक 28.01.2013 को स्वीकार कर विभाजन आदेश पारि[illegible]किया, माफिक आदेश विभाजन प्रस्ताव राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व नक्शा लट्ठा ट्रेस में अमलदरामद करते वक्त प्रार्थीगण खेताराम वगैरा के हिस्से में खसरा सं. 162 रकबा 10.12 बीघा रखा, जिसके वर्तमान खसरा सं. 162/2 बने, वो हिस्सा विप्रार्थीगण अणदाराम वगैरा के नाम रख दिया, जो अणदाराम वगैरा के हक में जरीये विभाजन खसरा सं. 162/1 रकबा 12.13 बीघा भूमि रखी गई, वो खसरा प्रार्थीगण के नाम लिपिकीय त्रुटि से रख दिया गया, उक्त खसरो की माफिक सहमति बंटवाड़ा तरमीम नहीं की जाकर

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

सहमति बंटवाड़ा विभाजन प्रस्ताव के विपरीत दर्ज कर दी, इस कारण नक्शा लट्टा ट्रेस, जमाबंदी में विभाजन प्रस्ताव से भिन्न प्रवष्टियां दर्ज अंकित होने से प्रार्थीगण के हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहे है, जबकि मौके पर कब्जा काश्त सहमति बंटवाड़ा अनुसार है। विभाजन के समय अन्य खसरे भी साथ में रहे, किन्तु उनके संबंध में किसी प्रकार का विवाद नहीं होने से उनका विवरण प्रार्थना में उल्लेखित नहीं किया गया है। राजस्व नक्शा में अमलदरामद के वक्त हुई उक्त त्रुटि को जरीये शुद्धि दुरस्त करना न्याय हित में आवश्यक है, अन्यथा भविष्य में विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। अतः मूल खसरा सं. 162 से विभक्त होकर कायम हुए वर्तमान खसरा सं. 162/1, 162/2 मौजा बामणी पटवार क्षेत्र धनवा के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी, नक्शा लटटा ट्रेस में हुई, लिपिकिय त्रुटि को दुरस्त कर माफिक सहमति बंटवाड़ा आदेश दिनांक 28.01.2013 अनुसार दुरस्त कर राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करने बाबत शुद्धि का आदेश प्रदान करावें।

2 प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी सं. 1 से 10 बावूजद नोटिस तामिल के पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुए। विप्रार्थी संख्या 11 की ओर से नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय) राज.पैरोकार उपस्थित हुए। विवादित भूमि की मौका जांच रिर्पोट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

3.उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्य को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा बामणी में अवस्थित मूल खसरा सं. 162 कुल रकबा 35 बीघा 18 विस्वा के संबंध में खातेदारान द्वारा उप तहसीलदार सिणधरी में बंटवाड़ा करवाने का प्रार्थना पत्र पेश किया, जो विभाजन प्रस्ताव दिनांक 28.01.2013 को स्वीकार कर विभाजन आदेश पारित किया, माफिक आदेश विभाजन प्रस्ताव राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व नक्शा लट्टा ट्रेस में अमलदरामद करते वक्त प्रार्थीगण खेताराम वगैरा के हिस्से में खसरा सं. 162 रकबा 10.12 बीघा रखा, जिसके वर्तमान खसरा सं. 162/2 बने, वो हिस्सा विप्रार्थीगण अणदाराम वगैरा के नाम रख दिया, जो अणदाराम वगैरा के हक में जरीये विभाजन खसरा सं. 162/1 रकबा 12.13 बीघा भूमि रखी गई, वो खसरा प्रार्थीगण के नाम लिपिकीय त्रुटि से रख दिया गया, उक्त खसरो की माफिक सहमति बंटवाड़ा तरमीम नहीं की जाकर सहमति बंटवाड़ा विभाजन प्रस्ताव के विपरीत दर्ज कर दी, इस कारण नक्शा लट्टा ट्रेस, जमाबंदी में विभाजन प्रस्ताव से भिन्न प्रवष्टियां दर्ज अंकित होने से प्रार्थीगण के हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहे है, जबकि मौके पर कब्जा काश्त सहमति बंटवाड़ा अनुसार है। विभाजन के समय अन्य खसरे भी साथ में रहे, किन्तु उनके संबंध में किसी प्रकार का विवाद नहीं होने से उनका विवरण प्रार्थना में उल्लेखित नहीं किया गया है। राजस्व नक्शा में अमलदरामद के वक्त हुई उक्त त्रुटि को जरीये शुद्धि दुरस्त करना न्याय हित में आवश्यक है, अन्यथा भविष्य में विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। अतः मूल खसरा सं. 162 से विभक्त होकर कायम हुए वर्तमान खसरा सं. 162/1, 162/2 मौजा बामणी पटवार क्षेत्र धनवा के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी, नक्शा लटटा ट्रेस में हुई, लिपिकिय त्रुटि को दुरस्त कर माफिक सहमति बंटवाड़ा आदेश दिनांक 28.01.2013 अनुसार दुरस्त कर राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करने बाबत शुद्धि का आदेश प्रदान करावें। अपनी बहस को जारी रखतें हुए आगे ओर कथन किया कि तहसीलदार सिणधरी ने अपनी मौका जांच रिपोर्ट में वास्तविक कब्जे काश्त एवं पूर्व में किये गये सहमति बंटवाड़ा तरमीम दुरूस्ती करने की सिफारिश की गई है। जो तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि की लटढा नक्शा में तरमीम दुरूस्ती करवानें का आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.11.17 16:21:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

4.विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार ने अपनी बहस में जाहिर किया,कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

5.हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात एवं मौका जांच रिर्पोट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया ग्राम प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा बामणी में अवस्थित मूल खसरा सं. 162 कुल रकबा 35 बीघा 18 विस्वा के संबंध में खातेदारान द्वारा तत्समय प्रस्तुत बंटवाड़ा प्रस्ताव दिनांक 28.01.2013 को स्वीकार कर विभाजन आदेश पारित की पालना में राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व नक्शा लट्ठा ट्रेस में अमलदरामद करते वक्त प्रार्थीगण खेताराम वगैरा के हिस्से में खसरा सं. 162 रकबा 10.12 बीघा रखा, जिसके वर्तमान खसरा सं. 162/2 बने, वो हिस्सा विप्रार्थीगण अणदाराम वगैरा के नाम रख दिया, जो अणदाराम वगैरा के हक में जरीये विभाजन खसरा सं. 162/1 रकबा 12.13 बीघा भूमि रखी गई, वो खसरा प्रार्थीगण के नाम लिपिकीय त्रुटि से रख दिया गया, उक्त खसरो की माफिक सहमति बंटवाड़ा तरमीम नहीं की जाकर सहमति बंटवाड़ा विभाजन प्रस्ताव के विपरीत दर्ज कर दी, इस कारण नक्शा लट्ठा ट्रेस, जमाबंदी में विभाजन प्रस्ताव से भिन्न प्रवष्टियां दर्ज हो गई, जबकि मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त सहमति बंटवाड़ा अनुसार है। इस संबंध में तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत लटढा नक्शा में तरमीम हो रखी है,जो कि गलत तरमीम हो रखी है। ,इस प्रकार प्रार्थीगण के मौके पर कब्जा काश्त से विपरीत तरमीम होनें के कारण प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति भी हो रही है, जबकि प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमीम होनी चाहिए। ताकि राजस्व रिकॉर्ड की एकरूपता बनी रहें और तहसीलदार सिणधरी ने भी अपनी मौका जांच रिर्पोट में मौका स्थिति के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने की अनुशंषा की गई है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि विवादित भूमि के खातेदारान का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमीम नहीं हो रखी है। जो प्रार्थीगण मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार रिकॉर्ड में तरमीम दुरूस्त करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

6. लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर बामणी में अवस्थित के खसरा सं. 162/1 व 162/2 भूमि के संबंध में खातेदारान द्वारा तत्समय प्रस्तुत बंटवाड़ा प्रस्ताव दिनांक 28.01.2013 को स्वीकार कर विभाजन आदेश पारित की पालना में नक्शा लट्ठा ट्रेस में की विदयमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 12.09.2022 के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्त करने के आदेश पारित किये जातें हैं,उक्त न[illegible] का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सिणधरी को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम दुरूस्ती [illegible] करने हेतु आदेशित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.11.17 16:21:22 IST
Reason: SelfAttested

(वीरमाराम)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 19-10-2022 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी